रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277449
CG-DL-E-27102026-277449

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5574] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5574] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5792(अ).— विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 63 के अंतर्गत परिचालित दिशानिर्देशों के पैरा 3 के उप-पैरा 3.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 43वीं राष्ट्रीय पारेषण समिति की बैठक की सिफारिशों पर, संबंधित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के विवरण सहित टीबीसीबी मोड के तहत निम्नलिखित पारेषण स्कीमों को एतद् द्वारा अधिसूचित करती है: -

1. बस सेक्शन-बी पर 765/400 केवी 3×1500 एमवीए आईसीटी द्वारा 765/400 केवी धरमजयगढ़ उपकेंद्र में अंतरण क्षमता का संवर्धन

कार्यान्वयन की समय-सीमा: एसपीवी के हस्तांतरण से 30 महीने

बीपीसी: आरईसीपीडीसीएल

कार्यक्षेत्र:

क्रम सं.	*पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र*	*क्षमता/किमी*
1.	धरमजयगढ़ उपकेंद्र में 400 केवी बस सेक्शन-बी का निर्माण तथा बस सेक्शन-बी पर 765/400 केवी 3×1500 एमवीए आईसीटी के माध्यम से 765/400 केवी धरमजयगढ़ उपकेंद्र की अंतरण क्षमता का संवर्धन, संबंधित आईसीटी बे सहित।	• 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी – 3 (9×500 एमवीए सिंगल-फेज यूनिट) *(मौजूदा 500 एमवीए की अतिरिक्त यूनिट का उपयोग किया जाना है)* • 765 केवी आईसीटी बे – (बस सेक्शन-बी पर) – 2 (2-सीबी स्कीम में आउटडोर जीआईएस बे) – 1 (एआईएस बे) • 400 केवी आईसीटी बे – 3 (बस सेक्शन-बी पर) • 400 केवी सेक्शनलाइज़र बे – 1 सेट • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर – 1 • 400 केवी रिएक्टर बे – 1 (बस सेक्शन-बी पर)
2.	कोरबा पावर लिमिटेड के 1600 मेगावाट टीपीएस के लिए धरमजयगढ़ उपकेंद्र (बस सेक्शन-बी) में 400 केवी के 2 बे की स्थापना (कनेक्टिविटी आवेदन सं.: 2200001692)	• 400 केवी लाइन बे – 2 (बस सेक्शन-बी पर)

नोट:

- *टीएसपी (पावरग्रिड) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 765 केवी के 2 आईसीटी बे, डबल सर्किट ब्रेकर स्कीम के साथ आउटडोर जीआईएस बे के रूप में स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 1800 मीटर 765 केवी जीआईएस डक्ट की आवश्यकता होगी।*
- *उपर्युक्त कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक स्थान पावरग्रिड द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।*

2. **उत्तरी क्षेत्र ग्रिड में गतिशील क्षतिपूर्ति की आवश्यकता – रामगढ़ और भादला-III उपकेंद्रों में सिंक्रोनस कंडेनसरों का कार्यान्वयन**

कार्यान्वयन की समय-सीमा: 30 माह

बीपीसी: आरईसीपीडीसीएल

कार्यक्षेत्र:

क्रम सं.	*पारेषण स्कीम का कार्यक्षेत्र*	*क्षमता/किमी*
1	400 केवी के 2 सिंकॉन बे सहित 765/400/220 केवी भड़ला-III पीएस के 400 केवी स्तर पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर यूनिट। (1 सिंकॉन यूनिट में +300 एमवीएआर/-200 एमवीएआर (न्यूनतम) का गतिशील समर्थन तथा पीसीसी पर 1200 एमवीए (न्यूनतम) का शॉर्ट सर्किट योगदान शामिल है।)	• सिंक्रोनस कंडेनसर यूनिट – 2 • 400 केवी सिंकॉन बे – 2

2	400 केवी के 2 सिंकॉन बे सहित 765/400/220 केवी रामगढ़ पीएस के 400 केवी स्तर पर 2 सिंक्रोनस कंडेनसर यूनिट। (1 सिंकॉन यूनिट में +300 एमवीएआर/-200 एमवीएआर (न्यूनतम) का गतिशील समर्थन तथा पीसीसी पर 1200 एमवीए (न्यूनतम) का शॉर्ट-सर्किट योगदान शामिल है।)	• सिंक्रोनस कंडेनसर यूनिट – 2 • 400 केवी सिंकॉन बे – 2

3. इस संबंध में बोली प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगी।

4. बीपीसी तकनीकी विकल्पों के माध्यम से राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की चौड़ाई में कमी की गणना के लिए सीईए की समिति की रिपोर्ट, दिनांकित 24.09.2024 के अनुसार आरओडब्ल्यू अनुकूलन सुनिश्चित करेगी।

5. शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 400 केवी मोनोपोल टावर संरचनाओं, विद्युतरोधी क्रॉस आर्म तथा आरओडब्ल्यू गलियारे के अनुकूलन के अन्य उपायों को अपनाया जाएगा।

6. जहाँ आरओडब्ल्यू संबंधी समस्याएँ होने की संभावना है, वहाँ 400 केवी मोनोपोल टावर संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा, जबकि अन्य खंडों में लैटिस टावरों का उपयोग किया जाएगा।

7. वन/पहाड़ी क्षेत्रों में मोनोपोल टावरों के उपयोग के अतिरिक्त आरओडब्ल्यू के अनुकूलन के अन्य उपाय किए जाएंगे।

8. इसके अलावा, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर सत्यापन और भौतिक सर्वेक्षण के बाद मार्ग को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

[फा. सं. 34-15/3/2026-ट्रांस]

नाओरेम इंद्रकुमार सिंह, अवर सचिव (पारेषण)

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2026

S.O. 5792(E).— In exercise of the powers conferred by sub-para 3.2 of Para 3 of the Guidelines circulated under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Central Government on the recommendations of 43rd meeting of National Committee on Transmission, hereby notifies the following transmission schemes under TBCB mode, with details of respective Bid-Process Coordinator (BPC): -

1. Augmentation of Transformation Capacity at 765/400 kV Dharamjaigarh Substation by 765/400 kV 3x1500 MVA ICTs on Bus Section-B

Implementation timeframe: 30 Months from SPV transfer

BPC: RECPDCL

Scope:

Sl. No.	*Scope of the Transmission Scheme*	*Capacity /km*
1.	Creation of 400 kV Bus Section - B at Dharamjaigarh Substation along with Augmentation of transformation capacity at 765/400 kV Dharamjaigarh S/s by 765/400 kV 3x1500 MVA ICTs on Bus Section-B, along with associated ICT bays	• 765/400 kV, 1500 MVA ICT – 3 Nos. (9x500 MVA single-phase units) *(existing 500 MVA spare unit to be utilized)* • 765 kV ICT bays – (on Bus Section-B) - 2 Nos. (Outdoor GIS bays in 2-CB scheme) - -1 No. (AIS bay) • 400 kV ICT bays – 3 Nos. (on Bus Section-B) • 400 kV Sectionaliser bays – 1 set • 125 MVAr, 420 kV bus reactor – 1 No. • 400 kV reactor bay –1 No. (on Bus Section -B)
2.	Installation of 2 nos. 400 kV bays at Dharamjaigarh Substation (Bus Section - B) for 1600 MW TPS of Korba Power Limited (Connectivity Application No.: 2200001692)	• 400 kV line bays – 2 Nos. (on Bus Section – B)

Note:

- *As per the inputs from the TSP (POWERGRID), 2 Nos of 765 kV ICT bays shall be implemented as outdoor GIS bays with a double circuit breaker scheme. In addition, approximately 1800 m of 765 kV GIS duct shall be required to meet the system requirement.*
- *The space required for the above scope of work shall be provided by POWERGRID free of cost.*

2. **Dynamic compensation requirement in the Northern Region Grid – Implementation Synchronous condensers at Ramgarh and Bhadla-III S/s**

Implementation timeframe: 30 Months

BPC: RECPDCL

Scope:

Sl. No.	*Scope of the Transmission Scheme*	*Capacity /km*
1	2 Nos. of Synchronous Condenser units at 400kV level of 765/400/220kV Bhadla-III PS along with 2 nos. of 400kV Syncon bays (1 no. of SynCon unit comprises dynamic support of +300MVAr/-200MVAr (Minimum) & Short circuit contribution at PCC of 1200MVA (Minimum))	• Synchronous Condenser units- 2 nos. • 400kVSyncon Bay- 2 nos.
2	2 Nos. of Synchronous Condenser units at 400kV level of 765/400/220kV Ramgarh PS along with 2 nos. of 400kV Syncon bays (1 no. of SynCon unit comprises dynamic support of +300MVAr/-200MVAr (Minimum) & Short circuit contribution at PCC of 1200MVA (Minimum))	• Synchronous Condenser units- 2 nos. • 400kV Syncon Bay- 2 nos.

3. The appointment of the Bid Process Coordinator is subject to the conditions laid down in the Guidelines issued by Ministry of Power in this regard, amended from time to time.

4. BPCs shall ensure RoW optimization as per the CEA's Committee report dated 24.09.2024 for calculation of reduction of Right of Way (RoW) Width through Technological Options.

5. 400 kV monopole tower structures, insulated cross arms and other RoW corridor optimization measures to be adopted in urban/ semi-urban areas.

6. 400 kV monopole tower structures to be used where RoW issues are anticipated, while lattice towers shall be used in other sections.

7. Other RoW optimization measures to be taken in forest/ hilly-terrain areas other than use of monopole.

8. Further, the route must be finalised after validation on PM Gati Shakti portal and physical survey.

[F. No. 34-15/3/2026-Trans]

NAOREM INDRAKUMAR SINGH, Under Secy. (Transmission)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA
Digitally signed by BHABAJIT DEKA
Date: 2026.10.27 22:41:42 +05'30'